फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू)

अस्पाकखां बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट न.मु.– 74 / 2023 GCMS No. - 2023/130

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुक्म तामील जारी हुए
22.08.23		

यह प्रार्थना–पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी अस्पाक खां पुत्र हुसैन खां जाति कायमखानी निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही कस्बा सुजानगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 212 में अस्याकखां पुत्र हुसैनखां तथा लतीफ पुत्र हुसैनखां दर्ज है। जो गलत है। पक्षकारान का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार अस्पाक खां पुत्र हुसैन खां तथा लिफू बानो है। पक्षकारान का नाम अस्पाक खां पुत्र हुसैन खां तथा लिफू बानो किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही कस्बा सुजानगढ़ की जमाबन्दी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 212 में अस्याकखां पुत्र हुसैनखा तथा लतीफ पुत्र हुसैनखां दर्ज है। जो गलत है। पक्षकारान का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार अस्पाक खां पुत्र हुसैन खां तथा लिफू बानो पुत्री हुसैनखां है जो शुद्ध किया जाना उचित है।

प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात, शपथ–पत्र, प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद तथा तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही कस्बा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या 212 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	कस्बा सुजानगढ़	212 (नया)	अस्याकखां पुत्र हुसैनखां जाति कायमखानी निवासी सुजानगढ़ खातेदार लतीफ पुत्र हुसैनखां जाति कायमखानी निवासी सुजानगढ़ खातेदार	अस्पाक खां पुत्र हुसैनखां जाति कायमखानी निवासी सुजानगढ़ खातेदार लिफुबानो पुत्री हुसैनखां जाति कायमखानी निवासी सुजानगढ़ खातेदार

राहिन की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति [illegible] सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर दर्ज [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/08/2023 को लिखाया जाकर सर इजलास [illegible] गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला–चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Kumar
Date: 2023.12.12 14:07:56 IST
Reason: SelfAttested